बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

—:: *कार्यालय आदेश* ::—

सं०सं० :— 04 / श्रम सां०मू—(कार्यालय आदेश) / 2026 .... दिनांक ...., 2026

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक—83 दिनांक—09.01.2026 के आलोक में बिहार सरकार के सात निश्चय—3 के सातवें निश्चय "सबका सम्मान—जीवन आसान" (Ease of Living) के तहत श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग में सप्ताह के दो कार्यदिवसों (सोमवार एवं शुक्रवार) को आमलोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाना है। उक्त दो कार्यदिवसों को आगन्तुकों का पदाधिकारियों से मिलने का समय / स्थान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:—

दिन	समय	स्थान
सोमवार	04:00—05:00	सचिव का कार्यालय कक्ष
शुक्रवार	04:00—05:00	

02. निर्धारित दोनों कार्यदिवसों को सचिव आमलोगों से अपने कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यदि सचिव किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री सुनील कुमार यादव, विशेष सचिव आम लोगों से मिलेंगे। यदि विशेष सचिव भी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री उपेन्द्र प्रसाद, अपर सचिव आम लोगों से मिलेंगे।

03. आगन्तुकों / शिकायतकर्त्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाएँ क्रय शाखा (प्रशाखा—02) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

04. आगन्तुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण सचिव कोषांग एवं शिकायतों को सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था प्रशाखा 04 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

05. आमलोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक—19.01.2026 (सोमवार) से लागू होगा।

ह० / —

(कुमारी शिशिर भारती)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 04 / श्रम सां०मू—(कार्यालय आदेश) / 2026 ..145.. पटना, दिनांक—..19/01/2026

प्रतिलिपि:— मा० मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के सचिव / सभी पदाधिकारियों, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shishir
17.01.26

(कुमारी शिशिर भारती)
सरकार के संयुक्त सचिव

S. Bharti office order